न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 153/2019

वादी :– अनोपसिंह पुत्र श्री विजयसिंह, जाति चारण, निवासी पीथास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. विजयसिंह पुत्र श्री शक्तिदान
2. दिनेशसिंह पुत्र श्री विजयसिंह
   जातियान चारण, निवासीगण पीथास,
   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
3. तहसीलदार, मेड़ता।।

दावा बाबत बंटवाड़ा, रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 53, 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 23/10/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री सत्यदेव सांदू ने दावा बाबत बंटवाड़ा, रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुरड़ाया की सरहद के खेत खसरा नम्बर 838 जिसके नये खसरा नम्बर 1117 रकबा 1.72 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 839 मी. जिसके नये खसरा नम्बर 1119 रकबा 2.12 हैक्टेयर, मौजा पीथास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 87 जिसके नये खसरा नम्बर 159 रकबा 1.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 153 जिसके नये खसरा नम्बर 299 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 156 जिसके नये खसरा नम्बर 302 रकबा 2.04 हैक्टेयर आया हुआ है। जिसकी खतौनी की नकल सम्वत् 2069 से 2072 व 2073 से 2076

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

की इस दावे के साथ पेश है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सगे भाई है और प्रतिवादी संख्या 1 इनके पिता है। वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित खसरान की भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद आयी हुई है लेकिन उपरोक्त खसरान की भूमि वादी के पिता को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। जिससे उक्त खसरान की भूमि वादी का भी हक व अधिकार आया हुआ है और जिससे वादी को बंटवाड़ा का वाद पेश करने का अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के बीच आज से काफी समय पूर्व मौके पर बंटवाड़ा कर दिया तथा उक्त बंटवाड़ा के माफिक ही पक्षकारान अपने–अपने बंट की भूमि पर काश्त व काबिज चले आ रहे है। उक्त बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 3 में वर्णितानुसार है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य अपने–अपने हिस्से व काबिज काश्त अनुसार मौके पर कदिम से कब्जा चला आ रहा है और अपने–अपने हिस्से की अलग–अलग बिगौड़ी अदा कर रहे है। पैरा संख्या 3 के भाग क, ख में दर्ज अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावें व अलग–अलग खातेदारी दर्ज कर रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावें। वादी अपनी बंटसुदा खातेदारी पर काश्त व काबिज चला आ रहा है मगर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी को अपने काश्त संबंधित कार्य करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादी को यह बंटवाड़ा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः दावा हाजा पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 10 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा कुरड़ाया की जमा बंदी सम्वत् 2069 से 2072, खाता संख्या 872, मौजा पीथास की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076, खाता संख्या 106, मौजा ग्राम कुरड़ाया की जमाबंदी सम्वत् 2008 से 2027, खाता संख्या 345, मौजा ग्राम पीथास की जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023, खाता संख्या 28, मिलान क्षेत्रफल कुरड़ाया एवं पीथास, एसबीआई बैंक शाखा खाखड़की का रहन मुक्ति प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश की।
3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री दिनेश शर्मा ने वकालतनामा व इकबालिया जवाबदावा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 13.08.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।
4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

6.(क) **वादी अनोपसिंह के बंट में :—** मौजा पीथास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 302 रकबा 2.04 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 299 रकबा 1.20 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में :– मौजा कुरड़ाया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1119 रकबा 2.12 हैक्टेयर व मौजा पीथास खसरा नम्बर 159 रकबा 1.33 हैक्टेयर भूमि बंट में रहेगी तथा शेष बची भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से में रहेगी।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.08 12:42:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: